



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

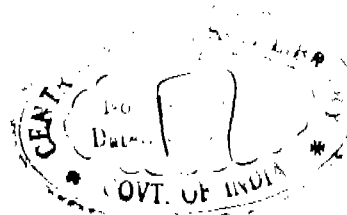
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



स० 27] नई दिल्ली, मंगलवार जनवरी 27 1976/माघ 7, 1897

No. 27] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 1976/MAGHA 7, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 27th January 1976

No. DRAWBACK/PN-14/76.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/Pn-1 dated the 15th October, 1971:—

For Sub item (iii) of item (c) of sub-serial No. 3402 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Description of Goods	Rate of Drawback
(ii) when used for packing other export goods.	Rs. 445/- (Rupees four hundred and forty five only) per tonne.

This public notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1976.

C. BHUJANGASWAMY, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1976

सं० प्रतिअदायगी/सा० सू०-14/76.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन 1, दिनांक, 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक, 3402 की मद (ड०) की उप मद (ii) तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
(ii) जब निर्यात किये जाने वाले अन्य माल को पैक करने के लिये इस्तेमाल किया जाता हो।	445 रु० (केवल चार सौ पैंतालीस रुपये) प्रतिटन।

यह सार्वजनिक सूचना जनवरी, 1976 के प्रथम दिन से लागू हुई समझी जायगी।

सी० भुजंगस्वामी, उप सचिव।